फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध संख्या GCMS NO. 2022/337 बअनवान दिलीपसिंह बनाम राजेन्द्रसिंह वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
सपठित धारा 151 सी.पी.सी. एवं आदेश 47 नियम 01 सी.पी.सी. बाबत् पुनर्विलोकन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
22/02/23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभय पक्ष वकुलाय की बहस के पश्चात् जाहिर हैं कि प्रार्थी अधिवक्ता श्री अमृत परिहार द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. एवं आदेश 47 नियम 01 सी.पी.सी. के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 39/2021 दिलीपसिंह बनाम श्री राजेन्द्रसिंह वगैरा में दिनांक 10.08.2022 को पारित आदेश को निम्न आधारो पर पुनर्विलोकन किये जाने की दलील दी गई:– 1. कि अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा के समर्थन में अप्रार्थी पक्ष ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2019 के विरूद्व प्रस्तुत स्पेशल अपील अंतर्गत धारा 10 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 के तहत राजस्व मण्डल अजमेर में लम्बित होने के तथ्य प्रकट करने से प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये वादी पक्ष के वाद को खारिज कर दिया गया। जबकि विधि का सुस्थापित सिद्वान्त हैं कि नामान्तरकरण कार्यवाही एक फिस्कल कार्यवाही है, जिसके लंबित रहते वाद कार्यवाही को निरस्त नहीं किया जा सकता, अपितु नियमित वाद प्रस्तुतीकरण के बाद संक्षिप्त विचारण नामान्तरकरण सबंधी अपीले इत्यादि की कार्यवाही स्वतः निरस्त हो जाती है। जिससे न्यायालय द्वारा दिनांक 10.08.2022 को पारित आदेश को रिव्यु किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। 2. कि धारा 145–146 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही में भूमि कुर्क कर रिसीवर नियुक्त किये जाने पर राजस्व/कृषि भूमि के कब्जे का अवधारण सक्षम राजस्व न्यायालय कर सकता है। जिस विधिक स्थिति को आदेश दिनांक 10.08.2022 में उल्लेखित कर एवं उक्त विधिक स्थिति को स्वीकार किये जाने के बाद भी अप्रार्थी पक्ष के आवेदन को स्वीकार कर वाद को खारिज किये जाने बाबत् आदेश के आमुख पर प्रत्यक्ष त्रुटि (**Error apparent on face of record**) परिलक्षित है। जिससे न्यायालय द्वारा पारित आदेश को पुनर्विलोकित किया जाना न्यायोचित है। 3. कि पुर्व वाद में (प्रतिवादी) प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2019 (1) आर.आर.टी. पेज 7 सुप्रीम कोर्ट घेवरचन्द व अन्य बनाम मैसर्स महेन्द्रसिंह वगैरा का न्यायालय द्वारा मात्र मियाद के बिन्दु की सीमा तक ही पीक एण्ड चूज के तहत अवलोकन किया है जबकि उक्त न्यायिक दृष्टान्त के जरिये भूमि को कुर्क करते ही कब्जा प्राप्ति हेतु वाद प्रस्तुत करने हेतु वाद हेतुक पैदा होने के सिद्वान्त का अवलोकन आलेच्य आदेश दिनांक 10.08.2022 में नहीं किया जो आदेश के आमुख पर प्रत्यक्ष त्रुटि परिलक्षित है। 4. कि अप्रार्थी का आवेदन निस्तारित करते समय न्यायालय के समक्ष मात्र यही प्रश्न था कि क्या वादी घोषणा, बेदखली, स्थायी निषेधाज्ञा का हकदार है और केवल राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकारिता है एवं उक्त प्रश्नो के निर्णय हेतु साक्ष्य की आवश्यकता है। प्रार्थी के वाद में उल्लेखित अभिवचनो विधिक प्रावधानो के अनुसार प्रार्थी खातेदारी अधिकारो की घोषणा, बेदखली–कब्जा पाप्त करने एवं स्थायी निषेधाज्ञा पाने का हकदार है। जिस हेतु साक्ष्य की भी आवश्यकता होने से अप्रार्थी के आवेदन को स्वीकार कर वाद खारिज करने की अधिकारिता न्यायालय को आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. में प्राप्त नहीं होती है। प्रार्थी के वाद में तथ्यो व विधि के प्रश्न अर्न्तवलित होने से साक्ष्य की आवश्यकता होने से प्राथमिक स्टेज पर वाद खारिज नहीं किया जा सकता है। वाद में उल्लेखित प्रकथन जो विधि द्वारा वर्जित हो की स्थिति में ही खारिज किया	

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

जा सकता है। जहां पर किसी विधि के द्वारा वाद वर्जित नहीं होने की स्थिति में वाद खारिज किया जाना गैर कानूनी है, जो त्रुटि आदेश दिनांक 10.08.2022 के आमुख पर प्रत्यक्ष त्रुटि हैं।

5. कि आदेश दिनांक 10.08.2022 पारित करते समय प्रार्थी–वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत उद्धहरण आर.आर.टी. 2021(2) पेज 1131 से 1133, पेज 1283 से 1285, आर.आर.टी. 2021(1) पेज 26 से 27, पेज 638 से 641, आर.आर.टी. 2018(1) पेज 629 से 631, पेज 116 से 118 में प्रतिपादित सिद्वान्तों की व्याख्या नहीं की एवं आदेश दिनांक 10.08.2022 पारित करते समय उक्त न्यायिक निर्णय प्रकरण में लागू नहीं होने अथवा असंगत होने बाबत् न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की फाईण्डिंग नहीं दिया जाना आदेश आमुख पर प्रत्यक्ष त्रुटि है।

9. कि अप्रार्थी का आवेदन मात्र तथाकथित मौखिक वसीयत के आधार पर है जबकि भारतीय उत्तराधिकार 1927 की धारा 57 (ग) एवं धारा 63 के परिप्रेक्ष में मौखिक वसीयतनामा का कोई वैध आधार नहीं है। नामान्तरकरण से सबंधित आदेश के विरूद्व अपील लंबित होने एवं धारा 145, 146 सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही से सबंधित रिसीवर द्वारा एक वर्ष की फसल की निलामी के विरूद्व राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में कार्यवाही विचाराधीन के द्वारा नियमित वाद खातेदारी अधिकारो की घोषणा, कब्जा प्राप्त करने एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् वादी के हक में वाद हेतुक पैदा होता है, को नहीं मानकर वादी के वाद को बिना किसी आधार के वाद खारिज किया है।

10. कि अप्रार्थी पक्ष के आवेदन में एवं न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.08.2022 में प्रार्थी का वाद " बार्ड बाई लॉ" किस विधेयक की कौनसी धारा के परिप्रेक्ष्य में है एवं कौनसे विधिक आधार है का उल्लेख भी नहीं हैं जिससे भी प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अपनी दलीलो के समर्थन में प्रार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री अमृत परिहार द्वारा निम्न कानूनी उद्धहरण पेश किये:–

A. कृषि भूमि के कब्जे का दावा सुनवाई का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को पूर्व आदेश में विधि द्वारा बाधित तथ कथित धारा, अधिनियम का उल्लेख नहीं के समर्थन में–

RRT 2018–19(Supp.) पेज 26
RRD 1957 पेज 104
RRT 2006–07(Supp.) पेज 15
RRT 19 (1)(Supp.) पेज 07 पैरा 19
AIR 1960(Raj) पेज 279
AIR 1960(Raj) पेज 196(b)
AIR 2006 NOC 257(Jhar.) पेज 83(a) (c)
AIR 2004(Supp.) पेज 115 (a) (b) (c)

B. भारतीय उतराधिकार अधिनियम 1925 धारा 63 (क) (ख) (ग) मौखिक वसीयत का दिनांक 01.01.1927 से प्रतिबन्ध 2001 RRT (2) पेज 1223

C. नामान्तरकरण स्वत्व का सबूत नहीं है तथा वे सरसरी प्रविष्टियां है इस प्रकार पक्षकारो के अधिकार नामान्तरकरण की कार्यवाहीयो अपील इत्यादि से तय नहीं होकर नियमित राजस्व वाद से ही तय किये जा सकते है। के समर्थन में–

209(2) RRT पेज 1118
2017(2) RRT पेज 745
1969 RRD पेज 388
1964 RRD पेज 220, 221 पैरा 02

D. आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. में मात्र पत्रो के कथनो को ही देखा जा सकता है। के समर्थन में–

RRT 2018–19(Supp.) पेज 105
RRT 2021 (2)पेज 1331
RRT 2018 (1) पेज 629

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

E. जहां यह प्रश्न उचित होता हो कि क्या वादी कृषि भूमि की घोषणा, कब्जा, व्यादेश पाने का अधिकारी–हकदार है, ओर केवल राजस्व न्यायालयो को क्षैत्राधिकार है– प्रश्नो के निर्णय हेतु साक्ष्य की आवश्यकता है– इस स्थिति में आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के आवेदन खारिज करने बाबत् आदेश न्याय संगत होता है।

RRT 2021(2) पेज 1283

RRT 2021 पेज 638

प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता श्री अमृत परिहार की दलीलो का बहस में खण्डन करते हुये अप्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा दलील दी गई कि प्रार्थी ने अपने पुनिर्विलोकन प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य नहीं दर्शाया है कि पुर्व पारित आदेश में on the face of record कोई गलती हुई है। प्रार्थी ने पुरे प्रार्थना पत्र में उन तथ्यों का वर्णन किया है जो न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने वाले है, तथा रिव्यु से परे है। प्रार्थी द्वारा अपने उक्त प्रार्थना पत्र के द्वारा न्यायालय द्वारा पुर्व पारित निर्णय दिनांक 10.08.2022 को आकस्मिक एवं मनमाना दृष्टिकोण मानते हुये पारित करना बताते हुये नया आदेश लिखाने का प्रयास किया जा रहा है। बहस के अंत में अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष द्वारा दलील दी गई कि पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में न्यायालय को सीमित अधिकार प्राप्त है, जबकि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से स्पष्ट हैं कि प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये अपील के प्रावधानो की तरह निर्णय दिनांक 10.08.2022 में बदलाव किये जाने की मांग की जा रही है, जो मांग इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार की नही होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने की दलील दी गई। अपनी दलीलो के समर्थन में विद्वान् अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा निम्न कानूनी उद्धहरण पेश किये :–

RRT 2005(1) पेज 545

RRT 2009(2) पेज 958

RRT 2008(1) पेज 61

RRT 2010(2) पेज 1281

RRT 2012(2) पेज 1397, 741

RRT 2009(1) पेज 470

RRT 2009(1) पेज 59

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया। उभय पक्ष वकुलाय द्वारा बहस के दौरान् प्रस्तुत कानूनी उद्धहरणो में प्रतिपादित सिद्वान्तो एवं धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 47 नियम 01 सी.पी.सी. में रिव्यु के सबंध में प्रविधित नियमो पर मनन किया गया। रिव्यु में विधि के प्रावधानो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ऐसा कोई तथ्य जो पुर्व पारित निर्णय के समय अधिवक्ता द्वारा ध्यान में नहीं लाया गया, तथा वह तथ्य पारित निर्णय के लिये आवश्यक था। उक्त तथ्य यदि रिव्यु प्रार्थना पत्र में उठाया जाता है, तो न्यायालय उस पर गौर कर पुर्व पारित निर्णय में संशोधन कर सकता है। परन्तु किसी भी परिस्थिति में पुर्व पारित निर्णय को उल्टा नहीं जा सकता है, अर्थात् रिव्यु में न्यायालय को बहुत ही सिमित अधिकार है। **नजरसानी का आधार न्यायालय का गलत निर्णय एवं कानून की गलत व्याख्या या अवहेलना करना नहीं हो सकता है। इन्टरप्रटेशन ऑफ लॉ– रिव्यु का ग्राउण्ड नहीं हो सकता। रिव्यु का मुख्य ग्राउण्ड तो " एरर अपरेरेण्ट ऑफ फेस ऑफ रिकॉर्ड" ही है।** पुर्व पारित आदेश दिनांक 20.08.2022 एक विस्तृत आदेश है, जिसमें प्रथम दृष्ट्या कोई त्रुटि नहीं रही है। विद्वान् वकील प्रार्थी द्वारा उठाई गई आपत्तियॉ अपीलीय न्यायालय से सबंधित है **क्योंकि अधिवक्ता प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र एवं बहस के दौरान् भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि हक स्वत्व के दावो एवं कब्जे के दावो का निर्णय राजस्व कोर्ट ही कर सकता है, परन्तु न्यायालय ने अपने पुर्व निर्णय में इसका विवेचन नहीं किया, मात्र राजस्व मंडल में स्पेशयल अपील विचारण होने एवं धारा 145–146 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रकरण माननीय राज. उच्च न्यायालय में लंबित होने का निर्णय में ब्यौरा देते हुये वादी के वाद को खारिज किया है, जो न्यायालय द्वारा गलत तौर से खारिज किया है, जिसको रिव्यु कर साक्ष्य के बाद प्रकरण का निर्णय पारित**

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज)

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	किया जावे। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या पुर्व पारित निर्णय में कोई त्रुटि नही रहने तथा रिव्यु में न्यायालय को सीमित अधिकार होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 47 नियम 01 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली बाली, जिला पाली (राज.)

Scanned with CamScanner